

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास डॉ. भँवर लाल, आई.ए.एस.

राजस्व निगरानी प्रार्थना-पत्र सं. 03/2022

प्रार्थी

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, पिण्डवाडा जिला सिरोही।।

बनाम

अप्रार्थी

श्री कालू पुत्र श्री लुम्बा जाति कुम्हार निवासी वासा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

राजस्व निगरानी प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राज. भूराजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970

उपस्थिति :-

1. पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार, सिरोही)
2. श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा, अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय

दिनांक 07.08.2023



प्रकरण में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी द्वारा यह आवेदन पत्र अप्रार्थी के विरुद्ध पेश कर निवेदन किया गया कि मौजा वासा, पटवार हल्का वासा, तह. पिण्डवाडा जिला सिरोही के खसरा नं. 939 नया खसरा संख्या 939 रकबा 0.01 बीघा किस्म गो.मु.तालाब भूमि तहसीलदार पिण्डवाडा के आदेश क्रमांक/राजस्व/87/1558 दिनांक 14.10.1987 द्वारा अप्रार्थी श्री कालू पुत्र लुम्बा जाति कुम्हार निवासी वासा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही को आवंटन की गई थी जिसके नामान्तरकरण संख्या, 653 उपतहसीलदार भावरी द्वारा श्री कालू वल्द श्री लुम्बा जाति कुम्हार, निवासी वासा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही के नाम से बतौर गैर खातेदार दर्ज कर स्वीकृत किया गया है, जिसे निरस्त कराने हेतु यह प्रार्थना-पत्र अप्रार्थी के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत पेश किया। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया।


अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा द्वारा जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी गई एवं जवाब प्रस्तुत किया, जो शामिल मिसल किया गया। प्रकरण में दोनों पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि विवादित खसरा नं. 939 नया खसरा संख्या 939 रकबा 0.01 बीघा किस्म गो.मु.तालाब भूमि का आवंटन अप्रार्थी श्री कालू वल्द श्री लुम्बा जाति कुम्हार निवासी वासा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही को करने में आवंटन कमेटी द्वारा भारी एवं कानूनी भूल की है। आवंटन कमेटी द्वारा विवादित भूमि गैर खातेदारी पर दस वर्ष के लिए आवंटन की है। अप्रार्थीगण सद्भावी काश्तकार नहीं थे एवं आवंटित भूमि पर उनका कब्जा नहीं है एवं काश्त भी नहीं किया है, एवं आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है।

जिला कलक्टर, सिरोही

यह है कि उक्त आवंटन जल ग्रहण क्षेत्र गै.मु.तालाब में किया गया है, जो डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में निर्णयानुसार आवंटन हेतु प्रतिबंधित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटन निरस्त किया जावे ।

अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि ग्राम वासा के खसरा संख्या 939 के राजस्व रेकॉर्ड में अप्रार्थी का नाम दर्ज है एवं उक्त कृषि भूमि पर अप्रार्थी का कदम से कब्जा है एवं उसे वह बाड़े के रूप में उपयोग उपभोग करता आ रहा है, जिसको देखते हुए राज्य सरकार की मंशा अनुसार बाड़ा के रूप में नियमन कर उक्त नियमन का राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करने के आदेश तहसीलदार पिण्डवाडा द्वारा सन् 1987 में दिए गए थे तथा उसकी पालना में अप्रार्थी के नाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज किया गया एवं राज्य सरकार की मंशा अनुसार एवं कानूनन अप्रार्थी को उक्त कृषि भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं लेकिन राजस्व रेकॉर्ड में पटवारी हल्का द्वारा गलती से राजस्व रेकॉर्ड में गैर खातेदारी का इन्द्राज चला आ रहा है। यह कि अप्रार्थी अपने पूर्व रसाधिकारियों के समय से लगभग 40-45 साल से लगातार काबिज है एवं उक्त भूमि का बाड़े के रूप में कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग व उपभोग करता आ रहा है। अप्रार्थी के बाड़े के रूप में नियमन किए भी लगभग 35 साल हुए हैं। इस प्रकार कानूनन उसे उक्त भूमि के सम्बन्ध में खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। यह है कि उक्त भूमि जल ग्रहण क्षेत्र से बाहर है, जिसमें आज दिनांक तक पानी का भराव



आ रहा है और उक्त भूमि डी.बी.सिविल रिट 536/2003 के निर्णय से प्रभावित नहीं है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना फरमावे।


उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनुन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो निष्कर्ष इस प्रकार है कि मौजा वासा, पटवार हल्का वासा, तह. पिण्डवाडा जिला सिरोही के खसरा नं. 939 नया खसरा संख्या 939 रकबा 0.01 बीघा किस्म गै.मु.तालाब भूमि तहसीलदार पिण्डवाडा के आदेश क्रमांक/राजस्व/87/1558. दिनांक 14.10.1987 द्वारा अप्रार्थी श्री कालू पुत्र श्री लुम्बा जाति कुम्हार निवासी वासा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही को आवंटन की गई थी जिसका नामान्तरकरण संख्या 653 उपतहसीलदार भावरी द्वारा श्री कालू वल्द श्री लुम्बा जाति कुम्हार निवासी वासा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही के नाम से बतौर गैर खातेदार दर्ज कर स्वीकृत किया गया। यह है कि पटवारी हल्का वासा से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 23.06.2016 के अनुसार उक्त आवंटित आराजी पर अप्रार्थीगण का आवंटन तिथि से आज तक कब्जा नहीं है एवं मौके पर कब्जा मात्र बाड़ा है एवं भूमि की किस्म गै.मु.तालाब है। चूंकि उक्त आवंटित भूमि की किस्म गै.मु.तालाब है, जो कि डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 के द्वारा प्रतिबंधित है। अप्रार्थी अधिवक्ता का कथन है कि उक्त विवादित भूमि जल ग्रहण क्षेत्र से बाहर है, परन्तु उनके द्वारा अपने इस कथन के समर्थन में किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह साबित हो सके कि उक्त विवादित भूमि जल ग्रहण क्षेत्र से बाहर है एवं उक्त भूमि पर अप्रार्थी का कब्जा अनवरत चला रहा है। यह है कि अप्रार्थी के नाम राजस्थान भू-राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत आवंटन शर्तों की पालना

जिला कलेक्टर, सिरोही

नहीं करने एवं उक्त भूमि डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 के द्वारा प्रतिबंधित होने से अप्रार्थी को किसी तरह की कोई राहत दिया जाना विधि संगत प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा वासा, पटवार हल्का वासा, तह. पिण्डवाडा जिला सिरौही के खसरा नं. 939 नया खसरा संख्या 939 रकबा 0.01 बीघा किस्म गै.मु.तालाब भूमि तहसीलदार पिण्डवाडा के आदेश क्रमांक/राजस्व/87/1558 दिनांक 14.10.1987 द्वारा अप्रार्थी श्री कालू पुत्र श्री लुम्बा जाति कुम्हार निवासी वासा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरौही को आवंटन की गई है, उसे निरस्त किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।



Mulla
(डॉ. मेहर लाल)
जिला कलेक्टर, सिरौही